न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 489/2015
जीसीएमएस न. 2015/000500

वादीगण–

1. दुलीचन्द पुत्र बंशीलाल
2. भगवानराम
3. शोभाराम उर्फ सुभाषचन्द्र
   जाति–ब्रहाम्ण, निवासी–मोतीनगर (खाटूकलां), तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्यामसुन्दर पुत्र जैनारायण
2. दुर्गाप्रसाद पुत्र जैनारायण
3. बेधनाथ पुत्र धर्मदत
4. भगवतीप्रसाद पुत्र पन्नालाल
5. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र पन्नालाल
6. बजरंगलाल पुत्र मोहनलाल
7. रामदेव पुत्र मोहनलाल
8. रामस्वरूप पुत्र ददमत
9. रामनिवास पुत्र ददमत
10. दीनदयाल पुत्र ददमत
11. रामानुज पुत्र मोतीलाल
12. रतनलाल पुत्र मोतीलाल
13. सम्पतलाल पुत्र मोतीलाल
    - 13/1. सरोजदेवी पत्नि सम्पतलाल
    - 13/2. मुकेश पुत्र सम्पतलाल
    - 13/3. राजेश पुत्र सम्पतलाल
    - 13/4. रमेश पुत्र सम्पतलाल
14. नेमीचन्द पुत्र मोतीलाल
15. धनराज पुत्र मोतीलाल
16. नारायण पुत्र मोतीलाल
    - 16/1. शांति पत्नि नारायण लाल
    - 16/2. मोनिका पुत्र नारायण
    - 16/3. विजय पुत्र नारायण
17. लक्ष्मीनारायण उर्फ लिछमीनारायण पुत्र चिमनीराम
    जातियान सभी – ब्रहाम्ण, निवासी– खाटूकलां, तहसील–जायल (नागौर)
18. तहसीलदार, जायल

28/6/2022
सहायक कलेक्टर
(रवि.बी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठोड अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री अम्बालाल पाराशर प्रतिवादी सं.11, 12, 14, 15 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 18 राजपैरोकार उपस्थित।

– निर्णय –

दिनांक 28/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण वाद के पैरा सं. 1 मे वर्णित वंशावली अनुसार स्व. लालूराम के वारिसान है। वादीगण के कब्जे काश्त हक अधिकार स्वामित्व का पुश्तैनी बडेर का खेत ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा सरहद मौजा मोतीनगर पटवार हलका खाटूकलां मे स्थित रहता चला आया है जिसके साबिक ख.न. 1355 रहे है। मुतवादिया भूमि वादी के बडेर के स्वामित्व कब्जे काश्त मे रहकर वर्तमान वादीगण ढाणी बनाकर निवास करते आ रहे हैं। वर्तमान में मुतदाविया भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण व उनके बडेर के नाम दर्ज रही है परन्तु इनका कभी मुतदाविया भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्तमान में खातेदार मे से लिछमीनारायण पुत्र चिमनीराम मौजुद है दीगर खातेदार जैनारायण, धर्मदत, पन्नालाल, मोहनलाल, ददमत, मोतीलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान 1 ता 16 तक पक्षकार बनाये गये है। दिगर खातेदार बनराज, धनो व आशाराम, हनुमान मूलाराम, बाबुलाल, राजाराम, देवीकिशन जैकिशन, रामप्रताप, शंकरलाल, नन्दलाल, शंकरलाल, गणेश, रामनाथ, दुर्गाप्रसाद, जाति दायमा ब्रहाम्ण निवासी खाटूकलां मे नहीं है ना ही उक्त खातेदारों के संबंध में पिछले 50 वर्षो से उक्त व्यक्तियों के संबंध में न तो सुना गया है ना ही देखा जिससे उक्त खातेदारों जीवित नही होने की उपधारणा ली जाकर व उनके वारिसान की जानकारी नहीं होने से वादपत्र मे पक्षकार नहीं बनाया गया है। मौजा खाटूकलांक के खेत ख.न. 1355, 1391, 1433 व 1423 सम्वत् 2006 मे भी वर्तमान खातेदारों की खातेदारी में दर्ज रहे परन्तु जागीर निलम्बन हो जाने पर खातेदारों ने उक्त खेताय पर ना तो कभी काश्त की ना ही काश्त अन्य से करवाई। उक्त चारों खेताय पर वादीगण के दादा लालू व बडे पिता चन्द्रा साथ काश्त करने लगे जो कब्जा काश्त निरन्तर लालुराम पुत्र सीताराम, चन्द्राराम पुत्र लालुराम, व बंशीलाल पुत्र लालुराम व वर्तमान वादीगण का शांतिपूर्ण रूप से चलता आ रहा है। अथार्त सम्वत् 2006 से आज दिन तक वादीगण एवं उनके पूर्वज मुदवादिया खेताय ख.न. 1355, 1391, 1433, 1423 पर काबिज होकर काश्त करसण कर रहे है। जिसके साबिक ख.न. 1490 रकबा 02.06 जिसके वर्तमान ख.न. 1391 रकबा 02.06 बीघा, साबिक ख.न. 1423 जिसके वर्तमान ख.न. 1522 रकबा 13.18 बीघा, साबिक ख.न. 1433 वर्तमान ख.न. 1532 रकबा 1.12 बीघा कुल 03 खेताय ररकबा 17.16 बीघा की खातेदारी वादीगण के बडे पिता चन्द्राराम पुत्र लालुराम के नाम दर्ज होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये जिनकी खातेदारी वर्तमान में वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। परन्तु साबिक ख.न. 1355 रकबा 5.15 बीघा पर कब्जा काश्त

28/6/2022

चन्दा वल्द लालु खां वंशीलाल वल्द लालु व लालु वल्द सीताराम जो कि वादीगण के दादा, बडे पिता व पिता रहे है तथा वर्तमान मे वादीगण का होने पर भी खातेदारी दर्ज नहीं होने व कब्जा शांतिपूर्ण जागिरकाल से आज तक निरन्तर रहने से यह वाद घोषणा खोतदारी का पेश करना लाजमी हुआ है।

वादीगण के पिता बंशीलाल के बडे भाई चन्द्रा का नाओलाद स्वर्गवास हो जाने से स्व. चन्द्रा के स्थान पर बंशीलाल का नामान्तकरण चन्दा की खातेदारी में दिनांक 03.06.1975 को दर्ज हुआ जिससे स्पष्ट है कि चन्दा के वारिसान वादीगण के अलावा अन्य नहीं हैं।

बिनाय दावा मौजा मोतीनगर का वर्तमान ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा जिसके साबिक खसरा नम्बर 1355 रकबा 5.15 बीघा मौजा खाटूकलां होकर जागीरकाल से स्व. लालु, चन्दा, बंशीलाल के कब्जे काश्त मे रहने व उनके स्वर्गवास होने के बाद वर्तमान में वादीगण काबिज रहकर काश्त करसण शांतिपूर्ण करने एवं वादी सुभाषचन्द परिवार सहित खेत ख.न. 1454 रकबा 5.15 बीघा में ढाणी बनाकर स्थाई रूप से निवास करने पर परन्तु खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण सरकारी सुविधाओं, मुआवजा आदि वादीगण प्राप्त नहीं कर पाने से वाद समय समय मौजा मोतीनगर उत्पन्न होकर न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। जागिर काल आज दिन तक मुदवादिया भूमि पर वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त होने से अन्दर मियाद है। प्रतिवादीगण का द्वारा दीगर मुदवादिया खेत ख.न. 1454 रकबा 5.15 बीघा पर पिछले 60–70 वर्षो से कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं तथा ना ही दीगर प्रतिवादीगणों ने अपना कोई हक अधिकार खेत के संबंध मे जताया है।

अतः वाद वादीगण का सादिर डिक्री फरमाया जावे की मौजा मोतीनगर के खेत ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा जिसका साबिक ख.न. 1355 रकबा 05.15 बीघा मौजा खाटूकलां एक मात्र वादीगण दुलीचन्द, भगवानाराम, शोभाराम उर्फ सुभाषचन्द पिता स्व. बंशीलाल जातियान ब्रहाम्ण के कब्जे काश्त हक अधिकार स्वामित्व खातेदारी का घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 16 को जारी नोटिस लेने से इनकार एवं रजि. ऐडी भिजावये गये नोटिस में पर्याप्त उपस्थिति इन्तजारी होने के उपरांत भी प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आये तथा ना ही इनकी ओर से कोई प्लीडर ने उपस्थित आकर वाद को कन्टेस्ड किया। प्रतिवादी सं. 17 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वकील वादीगण ने प्रतिवादी सं. 13 व 16 के फोत होने पर दर. अधीन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही हो जाने से वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दर. का.मु स्वीकार की जाकर प्रतिवादीगण सं. 13 व 16 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 11 रामानुज ने प्रतिवादी 12, 14, 15 तथा 13 व 16 के विधिक वारिसान रतनलाल, नेमीचन्द, धनराज, सरोजदेवी, मुकेश, राजेश, रमेश, शांतिदेवी, मोनिका, विजय, की ओर से आम मुख्तयार की हेसियत जरिये वकील श्री अम्बालाल पाराशर ने

वकालतनामा पेश कर प्रतिवादीगण सं. 11, 12, 14, व 15 के विरूद्ध की हुई एकपक्षिय कार्यवाही अपास्त करने बावत दर0 आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण महाराष्ट्र रहते है तथा न्यायालय द्वारा सम्मन खाटूकलां भेजे गये। जिस पर परिवार जनों के इतला दी परन्तु तारीख पेशी की सूचना नहीं होने से तारीख पैशी पर उपस्थित नहीं आ सके। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षिय कार्यवाही को अपास्त करे। नकल वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादीगण की ओर प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षिय कार्यवाही को अपास्त करने में अनापत्ति जाहिर की। वकील वादीगण की ओर से अनापत्ति जाहिर करने पर प्रतिवादीगण सं. 11,12,14 व 15 के विरूद्ध की गई एकपक्षिय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण की ओर से 11, 12, 14, व 15 तथा प्रतिवादी सं. 13 व 16 के के विधिक वारिसान की ओर से वाद मे वर्णित कथनों को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाब पेश किया।

वाद पत्र में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सबूत के तौर पर दुलीचन्द पुत्र बंशीलाल व भगवानराम पुत्र बंशीलाल, किशनाराम पुत्र भुगानाराम का शपथ पत्र पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 प्रदर्श 1 ता 3, नामान्तकरण सं. 339 पदर्श 4, खसरा जमाबन्दी सम्वत 2020 प्रदर्श 5, खतौनी सम्वत 2006 पदर्श 6, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2020 पदर्श 7 प्रस्तुत कराई। अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण की ओर से से वाद का समर्थन कर इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। मुदवादिया भूमि मौजा मोतीनगर के ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा जिसके साबिक ख.न. 1355 रकबा 05.15 बीघा मौजा खाटूकलां रहकर वादीगण के बडेर के कब्जे काश्त का रहकर वर्तमान मे भी वादीगण के कब्जे काश्त में शांतिपूर्ण रहता आया है जिस पर वादीगण काश्त करसण करते है व वादी सुभाषचन्द रहवासी ढाणी बनाकर निवास करता आ रहा है। प्रतिवादीगण का अराजी भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही वादीगण के कब्जे को लेकर कभी विरोध किया है। वादीगण का मुदवादिया भूमि पर कब्जा सम्वत् 2006 से आज दिनांक तक निरन्त बिना किसी विरोध व शांतिपूर्ण रहता आने से वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीनगर के ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा साबिक ख.न. 1355 रकबा 05.15 बीघा वादीगण के कब्जे काश्त हक अधिकारी व स्वामित्व का घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इसी माफिक अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से उतरवाद में वाद का समर्थन किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौजा मोतीनगर के ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा जिसके साबिक ख.न. 1355 रकबा 05.15 बीघा मौजा खाटूकलां तहसील जायल जो कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज हैं जो कि सम्वत सम्वत् 2006 से लगातार चले आ रहे है, जो आज भी खातेदार दर्ज है।

सम्वत 2006 से सम्वत 2076 तक राजस्व रिकॉर्ड मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे यह जाहिर होता है कि अराजी भूमि पर काश्त करसण नहीं रहा है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श 7 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार सम्वत् 2011 से सम्वत् 2020 तक में बतोर काश्तकार चन्द्रा पुत्र लालु दर्ज है। वकील वादीगण द्वारा बताये गये अनुसार अन्य खसरा नम्बर (साबिक) 1490, 1522, व 1532 सम्वत् 2006 में प्रतिवादीगण के बडेर के नाम दर्ज रहे जो सम्वत् 2020 की खतौनी जमाबन्दी में चन्द्रा पुत्र लालु कौम पुरोहित के नाम दर्ज हो गये। प्रदर्श 4 नामान्तकरण सं. 339 के अनुसार चन्द्रा पुत्र लालु के फोत होने पर खेताय ख.न. 1490, 1522, व 1532 चन्द्रा पुत्र लालु के कोई औलाद नहीं होने से एक मात्र उतराधिकारी बंशिलाल पुत्र लालु के नाम स्वीकृत किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि चन्द्रा पुत्र लालु के एक मात्र वारिसान वादीगण के पिता बंशीलाल ही है। गवाहों के बयानात अनुसार मुदवादिया भूमि ख.न. 1355 नया ख.न. 1454 वादीगण के बडेर लालु व चन्द्रा के कब्जे काश्त का रहकर वर्तमान मे वादीगण काश्त करसण करते हुये रहवासी ढाणी बनाकर निवास कर रहे है। ख.न. 1490, 1522, 1532 व 1355 प्रतिवादीगण के बडेर के नाम दर्ज थे परन्तु कब्जा काश्त वादीगण के बडेर का रहने एवं जागीरदारी खत्म होने पर वादीगण के बडेर चन्द्रा पुत्र लालु के नाम रिकॉर्ड में ख.न. 1490, 1522, व 1532 दर्ज हो गये परन्तु ख.न. 1355 दर्ज होने से रह गया है। जबकि ख.न. 1355 पर भी चन्द्रा पुत्र लालु का ही कब्जा काश्त रहा है जो खसरा गिरदावरी एवं गवाहों के बयान एवं प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब से साबित होता है। चन्द्रा पुत्र लालु वादीगण के पिता के भाई है तथा नामान्तकरण सं. 339 प्रदर्श 4 अनुसार चन्द्रा पुत्र लालु के एक मात्र उतराधिकारी भाई बंशीलाल पुत्र लालु जो वादीगण के पिता है।

वाद पत्र मे प्रतिवादीगण की और से उतरवाद मे वाद का समर्थन किया है तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई जिससे वाद में किसी प्रकार का विवाधक बिन्दू कायम नहीं हो पाये है। परन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि वादी के कथनानुसार ख.न. 1355 नये ख.न. 1454 जिसका रकबा 05.15 बीघा रहता आया है, पर वादीगण के बडेर का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से रहते आने से भी इस खसरे की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज होने किस प्रकार शेष रह गई ? नकल जमाबंदी सम्वत 2006 के अनुसार प्रतिवादीगण एवं उनके बडेर के नाम ख.न. 1454 साबिक ख.न. 1355 रकबा 05.15 बीघा बतौर खातेदार दर्ज है, जो वर्तमान जमाबन्दी में यथावत दर्ज रहता आ रहा है। यहा यह भी विचारणीय है कि सम्वत 2006 से आदिनांक तक खातेदार यथावत दर्ज रहते आये है, तथा उक्त खसरे में किसी प्रकार का परिवर्तन ईन्द्राज नहीं हुआ है, जो कि सम्भवतः खातेदार स्वयं काश्तकार नहीं होने पर नहीं हुआ है। खसरा गिरदावारी सम्वत 2011 से 2020 तक वादीगण के बेडर लालु व चन्द्रा तथा चन्द्रा पुत्र लालु बतौर काश्तकार दर्ज है। ख.न. 1355 के अतिरिक्त ख.न. 1391, 1433, व 1423 भी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज थे परंतु वक्त सेटलमेंट व जागिरदारी खत्म होने पर वादीगण के बडेर काश्तकार दर्ज होने से ख.न. 1355 के अतिरिक्त ख.न. 1391, 1433, व 1423 की खातेदारी वादीगण के बडेर चन्द्रा पुत्र लालु के नाम दर्ज हो गई जबकि ख.न. 1355 की खातेदारी भी बतौर काश्तकार की हैसियत से वादीगण के बडेर के नाम दर्ज होनी थी।

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जालन

अतः उपरोक्त विवेचन के पश्चात न्यायालय का यह मानना है कि ग्राम खाटुकलां के ख.न. 1355 जिसका वर्तमान ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा जो कि अन्य ख.न. 1490, 1522, व 1532 (साबिक ख.न. 1391, 1433 व 1423) के मौजा नीमनगर के साथ सेटमेंटल के पूर्व से ही वादीगण के बडेर के कब्जे काश्त का रहता आया है। जागीरदारी खत्म होने पर ख.न. 1355 के अतिरिक्त अन्य ख.न 1391, 1433, व 1423 वादीगण के बडेर काश्तकार दर्ज होने से खातेदार दर्ज हो गये, जबकि ख.न. 1355 पर भी वादीगण के बडेर का कब्जा काश्त होने से दर्ज होना चाहिए था। राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी, खतौनी बंदोबस्त, नामांतकरण आदि तथा गवाहो के बयान व प्रतिवादीगण के द्वारा वाद का समर्थन करने से ख.न. 1454 साबिक ख.न. 1355 रकबा 05.15 बीघा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नीमनगर के ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा वादी दूलीचन्द, भगवानाराम, शौभाराम उर्फ सुभाषचन्द्र पिता स्व0. बशीलाल जाति ब्रहाम्ण के कब्जे काश्त हक अधिकार एवं स्वामित्व खातेदारी का घोषित किया जाता है।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 489/2015
जीसीएमएस न. 2015/000500

वादीगण–

1. दुलीचन्द पुत्र बंशीलाल
2. भगवानराम
3. शोभाराम उर्फ सुभाषचन्द्र
   जाति–ब्रहाम्ण, निवासी–मोतीनगर (खाटूकलां), तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्यामसुन्दर पुत्र जैनारायण
2. दुर्गाप्रसाद पुत्र जैनारायण
3. बेधनाथ पुत्र धर्मदत
4. भगवतीप्रसाद पुत्र पन्नालाल
5. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र पन्नालाल
6. बजरंगलाल पुत्र मोहनलाल
7. रामदेव पुत्र मोहनलाल
8. रामस्वरूप पुत्र ददमत
9. रामनिवास पुत्र ददमत
10. दीनदयाल पुत्र ददमत
11. रामानुज पुत्र मोतीलाल
12. रतनलाल पुत्र मोतीलाल
13. सम्पतलाल पुत्र मोतीलाल
    - 13/1. सरोजदेवी पत्नि सम्पतलाल
    - 13/2. मुकेश पुत्र सम्पतलाल
    - 13/3. राजेश पुत्र सम्पतलाल
    - 13/4. रमेश पुत्र सम्पतलाल
14. नेमीचन्द पुत्र मोतीलाल
15. धनराज पुत्र मोतीलाल
16. नारायण पुत्र मोतीलाल
    - 16/1. शांति पत्नि नारायण लाल
    - 16/2. मोनिका पुत्र नारायण
    - 16/3. विजय पुत्र नारायण
17. लक्ष्मीनारायण उर्फ लिछमीनारायण पुत्र चिमनीराम
    जातियान सभी – ब्रहाम्ण, निवासी– खाटूकलां, तहसील–जायल (नागौर)
18. तहसीलदार, जायल

28/6/2022

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठोड अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री अम्बालाल पाराशर प्रतिवादी सं.11, 12, 14, 15 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 18 राजपैरोकार उपस्थित।

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 11, 12, 14, 15 हाजरी अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 18 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

मौजा नीमनगर के ख.न. 1454 रकबा 05.15 बीघा वादी दूलीचन्द, भगवानाराम, शौभाराम उर्फ सुभाषचन्द्र पिता स्व0. बशीलाल जाति ब्रहाम्ण के कब्जे काश्त हक अधिकार एवं स्वामित्व खातेदारी का घोषित किया जाता है।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल।